

विधि बैंक प्रकरण संख्या 03/2022(GCMS : 2022/7) पंजाब नेशनल बैंक  
जस्ये श्री निशान्त खुराना प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक कार्यालय  
SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर  
बनाम 1. सुशील कुमार पुत्र जगदीश राम निवासी वार्ड नं. 20, नवल मंदिर,  
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र मथूरा दास, निवासी नया वार्ड  
नं. 23, बिजली बोर्ड के पीछे, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

04.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भास्कर भूषण महेन्द्रा  
उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया।



प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र  
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन  
अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत किया  
है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सुशील कुमार एवं भूपेन्द्र कुमार को ऋण सुविधा  
के रूप में 06.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये छः लाख पचास हजार मात्र)  
का ऋण दिनांक 17.12.2007 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में  
अप्रार्थी सुशील कुमार ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 887 (क्षेत्रफल 2466.  
99 वर्गफुट), वार्ड नं. 30 पुराना (20 नया) नवल मंदिर और दुर्गा माता मंदिर,  
सूरतगढ प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण  
द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया  
गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक  
परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के  
नाम दिनांक 31.03.2021 को 03,92,198/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात  
के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा  
13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 24.06.2021 को उक्त बकाया  
राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त  
नोटिस पर अप्रार्थी सुशील कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है और अप्रार्थी भूपेन्द्र

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.07.2021 को भिजवाया गया है जो अप्रार्थी ऋणी को पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार प्राप्त हो गया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सुशील कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 887 (क्षेत्रफल 2466.99 वर्गफुट), वार्ड नं. 30 पुराना (20 नया) नवल मंदिर और दुर्गा माता मंदिर, सूरतगढ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी सुशील कुमार एवं भूपेन्द्र कुमार को 06.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये छः लाख पचास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 17.12.2007 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी द्वारा सुरक्षा की एवज में सुशील कुमार की आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 887 (क्षेत्रफल 2466.99 वर्गफुट), वार्ड नं. 30 पुराना (20 नया) नवल मंदिर और दुर्गा माता मंदिर, सूरतगढ प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 24.06.2021 को जारी किये गये है। अप्रार्थी ऋणी सुशील कुमार के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी भूपेन्द्र कुमार कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.07.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा तथा अप्रार्थीगण

को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी सुशील कुमार द्वारा बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 887 (क्षेत्रफल 2466.99 वर्गफुट), वार्ड नं. 30 पुराना (20 नया) नवल मंदिर और दुर्गा माता मंदिर, सूरतगढ जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 24.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण के नाम से जारी किया गया है। अप्रार्थी सुशील कुमार के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी भूपेन्द्रकुमार को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.07.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी भूपेन्द्र कुमार को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के

ऑनलाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुशील कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2022** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी सुशील कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 887 (क्षेत्रफल 2466.99 वर्गफुट), वार्ड नं. 30 पुराना (20 नया) नवल मंदिर और दुर्गा माता मंदिर, सूरतगढ **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(रुक्मणि रियार सिहाग)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर